राज्य में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक

रायपुर । आरएनएस

खरीफ विपणन 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन एक जुलाई से चल रहा है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। पंजीयन के लिए सभी किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहकारी समिति प्रबंधक से संपर्क कर नया पंजीयन करा सकते हैं।

खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार खरीफ विपणन 2024-25 में नया पंजीयन, फसल, रकबा संशोधन एवं कैरी फारवर्ड हेतु 1 जुलाई 2024 से किसानों का पंजीयन प्रारंभ किया गया है। सभी किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, समिति प्रबंधक से संपर्क कर नया पंजीयन, फसल, रकबा संशोधन एवं कैरी फारवर्ड शीघ्र पूर्ण करा सकते हैं एवं वारिसान पंजीयन हेतु तहसील कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं, ताकि धान विक्रय करने वाले किसान को कृषक उन्नति योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने की दृष्टि से कृषक पंजीयन की प्रकिया के सरलीकरण हेतु एकीकृत किसान पोर्टल विकसित किया गया है। एकीकृत किसान पोर्टल के नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल और रकबे में संशोधन की कार्यवाही 31 अक्टूबर तक सहकारी समिति के माध्यम से पंजीयन की जाएगी।

एकीकृत किसान पोर्टल में धान एवं मक्का उपार्जन योजना को भी सम्मिलित किया गया है। धान एवं मक्का कृषक को समर्थन मूल्य पर विक्रय करने हेतु एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। विगत खरीफ वर्ष 2023-24 में पंजीकृत किसानों को आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए पंजीकृत माना जाए एवं इसके लिए विगत खरीफ वर्ष 2023-24 में पंजीकृत किसानों की दर्ज भूमि एवं धान के रकबे एवं खसरे को राजस्व विभाग के माध्यम से अद्यतन करा लिया जाए। यह कार्य एकीकृत किसान पंजीयन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के लिए किसान द्वारा धान विक्रय के समय धान खरीदी केन्द्र में स्वंय उपस्थित होकर या उनके द्वारा नामांकित नामिनी के द्वारा उपस्थित होकर बायोमेट्रिक आधारित खरीद प्रणाली के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया जा सकता है। इसके लिए किसान पंजीयन हेतु एकीकृत कृषक पंजीयन पोर्टल पर किसान का पंजीयन निर्धारित अवधि के दौरान किसान का एवं उसके एक नामिनी का आधार नंबर लिया जाएगा।

नामिनी के रूप में किसान के परिवार के नामित सदस्य में माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, दामाद-पुत्रवधू, सगा भाई-बहन एवं अन्य करीबी रिश्तेदार को मान्य किया जाएगा। किसान यदि गत वर्ष पंजीकृत नॉमिनी में परिवर्तन करना चाहता है, तो समिति स्तर पर संशोधन की कार्यवाही की जाएगी। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में नवीन पंजीयन कराने वाले किसान से नॉमिनी की जानकारी एकत्र किया जाएगा।

हिस्सेदार, बटाईदार तथा अधिया रेगहा के तहत फसल उगाने वाले कृषकों के लिए खेत का मालिकाना हक रखने वाले कृषक स्वंय पंजीयन करा सकेगा अथवा संबंधित कृषक का नॉमिनी के तौर पर पंजीयन करा सकेगा। प्रत्येक खरीदी केन्द्रों में बायोमेट्रिक व्यवस्था के सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन हेतु एक स्थायी खरीदी केन्द्र प्रभारी नामांकित किया जाएग। खरीदी केंद्र प्रभारी का भी आधार नंबर एकत्रित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण एवं खास

मुख्यमंत्री ने जगदलपुर के मां दंतेश्वरी की पूजा-अर्चना कर की प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना

जगदलपुर (आरएनएस)। एक दिवसीय बस्तर प्रवास के दौरान सीएम विष्णु देव साय ने मां दंतेश्वरी के दर्शन और पूजा-अर्चना कर प्रदेश की जनता की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।मुख्यमंत्री के साथ बस्तर दशहरा के माटीपुजारी कमल चंद भंजदेव, वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप, कांकेर सांसद भोजराज नाग, विधायक किरण देव, कोंडागाँव विधायक लता उसेंडी,चित्रकोट विधायक विनायक गोयल, चैतराम अटामी ने भी मां दन्तेश्वरी की पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर साथ ही पूर्व सांसद और विधायक, पार्षदगण सहित क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधि एवं कमिश्नर डोमन सिंह, आईजी सुंदरराज पी., कलेक्टर हरिस एस, एसपी शलभ सिन्हा समेत जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

पिकनिक स्थल में डूबे यूवक का मिला शव मिला

कोरबा (आरएनएस)। कोरबा जिले के बालको क्षेत्र अंतर्गत फूटहामुड़ा पिकनिक स्थल में पिकनिक मनाने गए वाटरफॉल में लापता युवक की लाश बरामद कर ली गई है। मौके पर पहुंची बालको पुलिस पंचनामा की कार्यवाही में जुट गई। जानकारी के अनुसार बालकोनगर थाना अंतर्गत फूटहामुड़ा पिकनिक स्थल पर पाड़ीमार-बालको निवासी हरीश बरगे (27) अपने मित्रो के साथ पिकनिक मनाने पहुंचा था। यहां वे वाटरफॉल में नहाने उतर गए। इस दौरान हरीश बरगे पानी में डूबने लगा। मित्रो ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। हरीश पानी में डूबकर लापता हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस व एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तलाश शुरू की। लेकिन अंधेरा हो जाने एवं पानी की गहराई अधिक होने के कारण युवक का कुछ पता नहीं चल सका। दूसरे दिन पुन: युवक की तलाश शुरु की गई, तब लापता युवक का शव मिलने पर उसे पानी के भीतर से बाहर निकाला गया।

सेंट्रल जेल में गैंगवार, दशहरा की शाम बंदियों के बीच हिंसक झड़प, एक घायल

बिलासपुर (आरएनएस)। सेंट्रल जेल में एक बार फिर से गैंगवार की घटना हुई है. दशहरा की शाम जेल में बंद दो बंदियों के बीच भिड़ंत हुई. इस दौरान हत्या के आरोपी ने कप सिरप बेचने के आरोप में बंद कैदी नुकीली वस्तु से हमला किया. जिससे जेल में अफरा-तफरी मच गई. वहीं जेल के प्रहरी तुरंत मौके पर पहुंचे और दोनों बंदियों को अलग किया. दरअसल, सिरगिट्टी पुलिस ने नशीली कफ सिरप बेचने के मामले में नवीन निर्मलकर को तीन दिन पहले जेल भेजा है. दशहरा की शाम जेल में दुर्गा विसर्जन के दौरान वह आशीर्वाद लेने गया था. जहां हत्या के आरोपी लोकेश तिवारी ने अचानक किसी नुकीली वस्तु से उस पर हमला कर दिया. इससे नवीन घायल हो गया. जानकारी मिलते ही जेल प्रहरी पहुंचे और दोनों बंदियों को अलग कराया. घटना जेल के डी खंड में हुई. बताया जा रहा है कि लोकेश तिवारी और नवीन निर्मलकर की जेल के बाहर से दुश्मनी है. लोकेश ने सिरगिट्टी क्षेत्र में नवीन के माता-पिता पर हमला कराया था. जब वह हत्या के मामले में जेल पहुंचा था, तब नवीन ने लोकेश पर हमला कर दिया था. घायल नवीन निर्मलकर पहले हत्या के मामले में भाइयों के साथ जेल में था. सेंट्रल जेल से उसका तबादला दुर्ग जेल तबादला हुआ था. यहां से कुछ समय पहले ही बाहर आया था और नशीली दवा के कारोबार में उसे फिर से जेल आना पड़ा.

मंत्रालय में पहचान का झांसा देकर एसईसीएल के सफाई कर्मी ने ठगे 11 लाख

कोरबा । आरएनएस

रिटायर्ड एसईसीएल अधिकारी की बेटियों को मंत्रालय व रेलवे में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर अधीनस्थ कार्यरत सफाई कर्मी ने 11 लाख रुपये से अधिक की ठगी को अंजाम दिया है। पीड़ित रमेश कुमार करायर उम्र लगभग 63 वर्ष एम.आई.जी. 11-2, पंडित रविशंकर शुक्ल नगर का निवासी है। उसके साथ मुरारी लाल रागडे पिता नामालूम, कार्यालय-टी.ए. सिविल, ऑफिस, एस. ई.सी. एल., कोरबा, निवासी मानिकपुर, मटन दुकान व पोखरी के पास व सोनी भारती निवासी पुरेना बस्ती तेलीबांधा, रायपुर ने ठगी किया है।

पीड़ित ने न्यायालय में आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) द.प्र.सं. वास्ते अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 420, 120 (बी) के तहत प्रथम सूचना पंजीबद्ध किये जाने हेतु संबंधित थाना को आदेशित किये जाने हेतु परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवादी एस.ई.सी.एल. मुख्यालय कोरबा के सिविल विभाग में इंजीनियरिंग असिस्टेंट के पद पर कार्यरत था व 31.11.2017 को सेवानिवृत्त हुआ। परिवादी के उपरोक्त पद पर पदस्थ रहने के दौरान मुरारीलाल रागड़ें एस.ई.सी.एल. मुख्यालय कोरबा के सिविल विभाग में सफाई कर्मी के पद पर अधीनस्थ कार्यरत था व सफाई कर्मी कार्यरत है। वह रायपुर स्थित मंत्रालय के उच्चाधिकारियों, कथित नेताओं व मंत्रियों से सम्पर्क होने व अब तक अनेक लोगों की शासकीय नौकरी लगा चुका है,बताया। पीड़ित की दो पुत्रियाँ आरती करायर एवं ममता करायर व आरती करायर की मित्र नूतन साहू को शासकीय नौकरी हेतु प्रयास करते देखा था। इस चिंता से वाकिफ आरोपी ने दोनों पुत्रियों की शासकीय नौकरी आवश्यक रूप से लगाने का आश्वासन दिया जिससे उसकी बातों पर विश्वास हो गया था। आरती व नूतन की शासकीय नौकरी छत्तीसगढ़ मंत्रालय, रायपुर में तथा ममता करायर की शासकीय नौकरी रेलवे में लगवा देने का भरोसा दिया। इसके लिए खर्च लगने की बात कहकर एडवांस राशि जल्द दिये जाने परिजनों पर दबाव डाला गया कि जितनी जल्दी रकम दोगे, उतनी जल्दी में तीनों की नौकरी लगवा सकेगा। कुल 4 लाख रूपए आरोपी सफाई कर्मी के खाते में जमाध्ट्रांसफर करने की बात पर कहा कि वह भी शासकीय नौकरी करता है, उक्त राशि उसके खाते में जमा किये जाने से उसकी जाँच आदि की संभावना रहेगी तथा उसके नौकरी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए परिवादी व नूतन साहू के परिजन एडवांस राशि मित्र (दूसरे आरोपी) के खाते में जमा करने कहा गया। इस तरह बैंक में जमाध्ट्रांसफर व नगद के जरिए अलग-अलग तारीख में कुल 11 लाख पाँच हजार रूपए छलपूर्वक लिया गया। इसके बाद नौकरी आज-कल में लगवाते वर्ष 2019 व्यतीत हो गया। उपरोक्त रकम वापस करने में भी टाल-मटोल किया जाने लगा।

विवश होकर परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 19.03.2021 को विधिक सूचना पत्र प्रेषित कर उपरोक्त राशि की मांग की गई, जिसका आरोपी सफाईकर्मी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 22.03.2021 को जवाब प्रेषित करते हुए परिवादी पर ही झूठा आरोप लगा उक्त राशि देने से इंकार कर दिया। फिर परिवादी एवं नूतन साहू के द्वारा दिनांक 03.05.2021 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा दिनांक 09.06.2021 को चैकी मानिकपुर में लिखित शिकायत किया गया, जिसमें धारा 155 द.प्र.सं. पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की पावती परिवादी को प्रदान कर न्यायालय की शरण में जाने की सलाह दी गई। परिवादी के द्वारा यह परिवाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ा।

करंट की चपेट में आकर दो ग्रामीण युवकों की मौत, गांव में मची खलबली

कोरबा । आरएनएस

कोरबा जिले के बालको थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेला में कल देर शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब दो ग्रामीण युवकों की करंट से मौत होने की खबर आम हुई। बताया जा रहा है कि गांव से गुजरे 11 केवी करंट प्रवाहित तार से किसी ग्रामीण के द्वारा शिकार करने के लिए जीआई तार आम चालू रास्ते पर घोर लापरवाही पूर्वक बिछाया (खींचा) गया था। यह तार बहुत महीन और जमीन से लगा था। इसी रास्ते से मोटरसाइकिल पर सवार होकर ग्राम टापरा की ओर से बेला आ रहे दो युवक नारायण कंवर पिता करम सिंह 35 वर्ष व टिकेश्वर राठिया पिता बृजलाल 32 वर्ष दोनों निवासी ग्राम बेला उक्त तार के संपर्क में आ गए और बुरी तरह झुलस कर दोनों का करुणान्त मौके पर ही हो गया। हादसे की खबर फैलते ही गांव में खलबली मच गई है।

सूचना पर बालको थाना में पदस्थ एएसआई माखन लाल पात्रे, प्रधान आरक्षक लक्ष्मीकांत खरसन मातहतों के साथ घटनास्थल पहुंचे। मौके तक चारपहिया वाहन जाने का रास्ता नहीं है। पुलिस किसी तरह घटनास्थल पहुंची और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए रात करीब 10.45 बजे पंचनामा बाद शव को जिला अस्पताल के लिए रवाना किया गया।

बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय कंसलटेशन कार्यशाला का आयोजन

- **महिला बाल विकास मंत्री राजवाड़े मुख्य अतिथि के रूप में होंगी शामिल**

रायपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त बनाने के उद्देश्य से 16 अक्टूबर को राज्य स्तरीय कंसलटेशन कार्यशाला का आयोजन राजधानी रायपुर के स्थानीय होटल में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े होंगी। कार्यशाला महिला एवं बाल विकास विभाग और यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के सहयोग से आयोजित की जा रही है। कार्यशाला सुबह 10 बजे से शुरू होगा, जिसमें विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

उल्लेखनीय है कि बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 10 मार्च 2024 को की गई थी, जिसका उद्देश्य बाल विवाह की सामाजिक बुराई को जड़ से समाप्त करना है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विभागों को एक समन्वित रणनीति भेजी गई है। कंसलटेशन कार्यशाला का उद्देश्य विभागों के बीच परस्पर समन्वय बढ़ाना और बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रयासों को मजबूत करना है। सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने दो अधिकारियों को इस कार्यक्रम के लिए नामांकित करें और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें। यह कार्यशाला छत्तीसगढ़ में बाल विवाह के उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो समाज को जागरूक करने और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री को 27 वें अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होने का निमंत्रण

- **मुख्यमंत्री ने आयोजन के लिए वन विभाग व समस्त प्रतिभागियों को दी बधाई**
- **ओलंपिक पदक विजेता सुश्री मनु भाकर की मौजूदगी में होगा भव्य समापन कार्यक्रम**

रायपुर । आरएनएस

मुख्यमंत्री विष्णु देव को राजधानी रायपुर में 16 से 20 अक्टूबर तक आयोजित 27वें अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होने का आमंत्रण मिला है। साय से आज यहाँ उनके निवास कार्यालय में वन मंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में वन विभाग के अधिकारियों ने भेंटकर उन्हें शुभारंभ कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करना छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। इस मौके पर अधिकारियों ने उन्हें स्पोर्ट्स किट भी भेंट किया।

इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव, एडिशनल पीसीसीएफ सुनील मिश्रा, एडिशनल पीसीसीएफ अरूण पाण्डेय, एडिशनल पीसीसीएफ संजीता गुप्ता, मुख्य वन संरक्षक शालिनी रैना, सीसीएफ राजू अगासिमनी भी उपस्थित थे।

प्रतियोगिता की नोडल अधिकारी शालिनी रैना (मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन व आईटी) ने बताया कि यह एक वृहद व प्रतिष्ठित आयोजन है जो वनों की सुरक्षा व वन्य प्राणियों के संरक्षण को लेकर समर्पित है, जिसमें देशभर के अनेक प्रतिभागी शामिल होने वाले हैं। उन्होंने बताया कि राजधानी के 27वें अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में देशभर से करीब 3 हजार से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी इस पांच दिवसीय प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए सतत प्रयासरत है।

गौरतलब है कि राजधानी रायपुर में 16 से 20 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन राजधानी के कोटा स्थित स्टेडियम में होगा। कार्यक्रम में भारतीय टी-20 क्रिकेट टीम के कप्तान और युवाओं में स्काई के नाम मशहूर क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव शामिल होंगे। साथ ही आयोजन के समापन समारोह में ओलंपिक पदक विजेता सुश्री मनु भाकर भी शामिल होंगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी वीडियो जारी कर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले देशभर के वन सेवा के अधिकारी व कर्मचारियों को बधाई देते हुए आयोजक वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को शुभकामनाएं प्रेषित की है।

कलेक्टर धर्मेश साहू ने बरमकेला क्षेत्र में विभिन्न कार्यों का किया निरीक्षण

सारंगढ़ बिलाईगढ़

कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू मंगलवार को बरमकेला ब्लॉक के दौरे पर रहे। उन्होंने सबसे पहले शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरमकेला और ग्राम संडा में पानी टंकी का निरीक्षण किया।

कलेक्टर साहू ने जिले के अंतिम छोर और ओडिशा सीमा से चारों तरह से घिरे बसे गांव सांकरा का आकस्मिक दौरा किया। उन्होंने सांकरा में जल जीवन मिशन अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया और निर्माण में बदलाव करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार उन्होंने सांकरा ग्राम पंचायत के सीमा में महानदी के जल के उपयोग से साल भर खेती की संभावना पर महानदी का निरीक्षण किया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत सांकरा में कलेक्टर ने ग्रामीणों से उनके मांग शिकायत के संबंध मे चर्चा की। इस दौरान एक बुजुर्ग ने तीन माह से पेंशन नहीं मिलने की बात कही। इसके जवाब में सीईओ जनपद पंचायत बरमकेला प्रज्ञा यादव ने कहा कि मई जून के समय आबंटन राशि आई थी, जैसे ही आबंटन आयेगा तो पुनः पेंशन मिल जायेगा। इसी प्रकार ग्रामीणों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दो नर्स के विरुद्ध शिकायत किए कि एक नर्स ड्यूटी पर नहीं रहती और नर्स रंजीता चौहान का पति भी हॉस्पिटल में आकर जबरन इलाज करता है। कलेक्टर को बीएमओ अवधेश पाणीग्राही ने अवगत कराया कि नर्स रंजीता चौहान मुख्यालय से बाहर निवास करती है। कलेक्टर ने नर्स को सख्त निर्देश दिए कि मुख्यालय में ही रहकर स्वास्थ्य सेवा करना है और इस दौरान आपके पति द्वारा हॉस्पिटल के इलाज आदि में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। भविष्य में शिकायत नहीं आनी चाहिए ऐसा अच्छा कार्य करो। कलेक्टर ने सरिया में उल्लास केंद्र का शुभारंभ किया और असाक्षर बुजुर्ग महिलाओं और ट्रेनर स्कूली बालिकाओं से बातचीत किए। इस दौरान स्कूल परिसर में संचालित अन्य स्कूली बच्चों से स्वास्थ्य और स्कूल में दी जाने वाली भोजन के बारे में (घर और स्कूल में कहां का खाना अच्छा लगता है, क्या बनना चाहते हो) पूछा। बच्चों ने जवाब दिया कि, स्कूल का खाना अच्छा लगता है और डाक्टर बनना चाहता हूं। इसी प्रकार कलेक्टर ने पीएमश्री स्कूल केंदवाही बार का निरीक्षण किया। स्कूली बच्चों से कलेक्टर ने गणित के प्रश्न पूछे। स्कूली बच्चों ने कलेक्टर को अंग्रेजी का पाठ पढ़कर सुनाया। कलेक्टर ने सभी बच्चों को शाबाशी दी। इस दौरान एसडीएम प्रखर चंद्राकर, नोडल अधिकारी पंचायत हरिशंकर चौहान, डीईओ लक्ष्मी प्रसाद पटेल आदि उपस्थित थे।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छतीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

रायपुर दक्षिण विधानसभा के लिए उप-निर्वाचन की घोषणा, 25 तक भरे जाएंगे नामांकन, 13 नवंबर को मतदान, 23 नवंबर को होगी मतगणना

रायपुर । आरएनएस

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लिए उपनिर्वाचन की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने बताया कि उप-निर्वाचन की अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी की जाएगी। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी 25 अक्टूबर अपना नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा करा सकेंगे। निर्धारित समयावधि में प्राप्त नामांकन पत्रों की स्क्रूटनिंग 28 अक्टूबर को की जाएगी। अभ्यर्थी स्वयं या अपने किसी प्रस्तावक या लिखित पत्र द्वारा घोषित अपने निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से लिखित सूचना पर अपना नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है। अंतिम रूप से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची भी इसी दिन जारी होगी। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के उप-निर्वाचन के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को मतों की गणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा।

आदर्श आचरण संहिता का पालन करें- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रायपुर दक्षिण विधानसभा उप-चुनाव की घोषणा के साथ ही विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने सभी शासकीय सेवकों, राजनैतिक दलों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी शासकीय कर्मी निष्पक्ष रहें और निष्पक्ष भाव से चुनाव कार्य संपादित करें।

राजनैतिक दल तथा अभ्यर्थियों के लिए साधारण आचरण-

किसी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना उत्पन्न करे या तनाव पैदा करे। जब अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाय, तब वह उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पुराने आचरण और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए, यह भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिनका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो, अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं के बारे में कोई ऐसी आलोचना नहीं की जानी चाहिए जो ऐसे आरोपों पर जिनकी सत्यता प्रमाणित न हुई हो या तोड़-मरोड़ कर कही गई बातों पर आधारित हो। मत प्राप्त करने के लिए जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।